अहकाम जो इस
हुक्म की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. देदाराम पुत्र रूपाराम 2. तेजाराम पुत्र रूपाराम 3. पेमाराम पुत्र रूपाराम 4. दूदाराम पुत्र रूपाराम 5. सोनीदेवी पुत्र देदाराम 6. राधा पत्नी पेमाराम 7. नोजी पत्नी तेजाराम जतियान कुम्हार निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	1. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा। 2. मगाराम पुत्र हेमाराम 3. शेराराम पुत्र हेमाराम 4. पुनमाराम पुत्र जेठाराम 5. गोरधनराम पुत्र जेठाराम 6. नानकाराम पुत्र जेठाराम 7. नवाराम पुत्र प्रभुराम 8. खींयाराम पुत्र सोनाराम जातियान कुम्हार निवासी धुड़ावा 9. केशाराम पुत्र लालाराम 10. भोजाराम पुत्र लालाराम जाति भील निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 31 / 2022 दिनांक : 07.06.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा के मौजा धुडावा के खेत खसरा संख्या 513 / 96 रकबा 22.00 बीघा खसरा संख्या 514 / 96 रकबा 21.19 बीघा खसरा संख्या 516 / 290 रकबा 20.06 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 542 - 46 दिनांक 8/6/22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण देदाराम पुत्र रूपाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण मगाराम पुत्र हेमाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / रागेश्वरी / धनाऊ को भेजकर लेख है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 31/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

देदाराम वगैरा बनाम मगाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – करनाराम कडवासरा

निर्णय दिनांक – 07.06.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा के मौजा धुडावा के खेत खसरा संख्या 513/96 रकबा 22.00 बीघा खसरा संख्या 514/96 रकबा 21.19 बीघा खसरा संख्या 516/290 रकबा 20.06 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा के मौजा धुडावा के खेत खसरा संख्या 513/96 रकबा 22.00 बीघा खसरा संख्या 514/96 रकबा 21.19 बीघा खसरा संख्या 516/290 रकबा 20.06 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा